



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102022-239567
CG-DL-E-11102022-239567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4610]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 2022/आश्विन 19, 1944

No. 4610]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2022/ASVINA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4820(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1436(अ), तारीख 22 मार्च 2022, भारत के राजपत्र सं. 1394 तारीख 29 मार्च 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील देवास, सोनकच्छ जिला देवास राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 01 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी और डॉ राम प्रकाश तिवारी, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

जिला : देवास		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
देवास	नापाखेड़ी	658/755/2/1	00	08	66
		446/2	00	00	92
	खोकरिया	257	00	01	80
		550	00	01	72
	सिरोल्या	201	00	01	58
	टिगरिया छोटा	942	00	08	66
सोनकच्छ	बरोली	567	00	07	18
	सोनकच्छ	1201	00	03	62
		1287	00	00	29
	तालोद	2088	00	08	50
		2094	00	23	17
	छायानमैना	608	00	01	37

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2022

S.O. 4820(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1436(E) Dated 22th March 2022 published in the Gazette of the India Gazette No. 1394 Dated 29th March 2022 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project” for the transportation of LPG in Tehsil Dewas, Sonkatch District Dewas In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 01 April 2022 And whereas Dr. Ram Prakash Tiwari, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the LPG pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District: Dewas		State: Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Dewas	Napakhedi	658/755/2/1	00	08	66
		446/2	00	00	92
	Khokhariya	257	00	01	80
		550	00	01	72
	Siroliya	201	00	01	58
	Chhota tigariya	942	00	08	66
Sonkatch	Baroli	567	00	07	18
	Sonkatch	1201	00	03	62
		1287	00	00	29
	Talod	2088	00	08	50
		2094	00	23	17
	Chhayanmena	608	00	01	37

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.